न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2025(GCMS 2025/298)
(RTI No. 21283386731706З)

भागीरथ पुत्र बींझाराम शर्मा **निवासी** वृद्धा आश्रम रोड, 39ए, महावीर इंटरनेशनल कॉलोनी, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 93729–68715)

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भागीरथ की ओर से उनके पुत्र पूर्णचन्द शर्मा उपस्थित हुए और कथन किया कि उनके पिता भूपराम का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वे उपस्थित हुए है। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2025 से सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री भागीरथ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14 महावीर इंटरनेशनल कॉलोनी कॉलोनाईजर द्वारा दी गयी Undertaking की प्रतिलिपि।
2. चक 5ई छोटी श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14 महावीर इंटरनेशनल कलोनी में न्यास द्वारा वृद्धाश्रम के नाम किये गये संपरिवर्तन अथवा नियमन के आदेश की प्रति।
3. चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14 महावीर इन्टरनेशनल कॉलोनी में फेसिलिटी हेतु आरक्षित भूमि की सूचनाएं उक्त भूमि के नियमन की बिंदुवार सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 54/2025
(GCMS No. 2025/298)
भागीरथ बनाम सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक नियोजन/2025/1765 दिनांक 29.12.2025 से अगवत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक नियोजन/2025/747 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन कर निम्नानुसार सूचना चाही गइ हैः

क्र.सं.	चाही गई सूचना	प्रति उत्तर
1	चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14 महावीर इंटरनेशनल कॉलोनी कॉलोनाईजर द्वारा दी गयी Undertaking की प्रतिलिपि।	चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 12 किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14 में महावीर इन्टरनेशनल कॉलोनी का लेआउट प्लान संबंधी कार्यवाही/भू–रूपान्तरण संबंधी कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांगनगर के स्तर द्वारा की गई है। उक्त कॉलोनी की रिकॉर्ड अनुसार मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। न्यास रिकॉर्ड अनुसार केवल उक्त भूमि में स्वीकृत लेआउट प्लान की फोटो प्रति उपलब्ध है। जिसके कारण अन्डरटेकिंग संपरिवर्तन आदेश की प्रति दी जानी संभव नहीं है।
2	चक 5ई छोटी श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14 महावीर इंटरनेशनल कलोनी में न्यास द्वारा वृद्धाश्रम के नाम किये गये संपरिवर्तन अथवा नियमन के आदेश की प्रति।	
3	चक 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14 महावीर इन्टरनेशनल कॉलोनी में फेसिलिटी हेतु आरक्षित भूमि की सूचनाएं उक्त भूमि के नियमन की बिंदुवार सूचना	उक्त भूमि में स्वीकृत ले आउट प्लान की प्रति 200/– रूपये न्यास कोष में जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:58:02 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में **सूचना वही** देय है जो **निश्चित** अभिलेखो में **उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में** कोई **सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अपीलार्थी को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा ले आउट प्लान के संशोधन में किसी प्रकार के नियमों/प्रावधानों की अनदेखी की गई है तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष अलग से जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसे इस अपील से अलग रखा जायेगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.02.06 14:38:02 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर